"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 55] रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 फरवरी 2017—फाल्गुन 6, शक 1938

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–10/2017/वा. कर (आब.)/पांच (05). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के लिए कारखाने के बाहर मूल्य (एक्स फैक्ट्री प्राईस) पर 50 प्रतिशत की दर से काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अधिरोपित करता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1–4–2017 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 10–10/2017/वा. कर (आब.)/पांच (05). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–10/2017/वा. कर (आब.)/पांच (05), दिनांक 16–02–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 16th February 2017

NOTIFICATION

No. F 10-10/2017/CT/EX/V(05). — In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 25 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) the State Government hereby levies countervailing duty at the rate of 50% on ex-factory price of Country and Foreign Liquor (Sprit/Malt).

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10—10 / 2017 / वा. कर (आब.) / पांच (06). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, ऐसी विदेशी मदिरा (बीयर को अपवर्जित करते हुए) का, जो छत्तीसगढ़ के बाहर विनिर्मित हुई हो और जिसका कारखाने के बाहर मूल्य (एक्स फैक्ट्री मूल्य) 700 रुपये प्रति केस, जिसमें 12 क्वार्ट या 24 पिंट या 48 निप बोतलें हों, से अधिक नहीं हो, संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में आयात प्रतिषिद्ध करती है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01—04—2017 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 10—10 / 2017 / वा. कर (आब.) / पांच (06). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10—10 / 2017 / वा. कर (आब.) / पांच (06), दिनांक 16—02—2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 16th February 2017

NOTIFICATION

No. F 10-10/2017/CT/EX/V(06). — In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) the State Government hereby prohibits through out the State of Chhattisgarh the import of such Foreign Liquor (excluding Beer), manufactured out of Chhattisgarh and having ex-factory price not more than Rs. 700/- per case which contains 12 quarts or 24 pints or 48 nips bottles.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st April 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.